

08-10-2024

वकील पक्षाकारण उपस्थित। पेशीकार  
 सारकार उपस्थित। प्राची अपीप्राची द्वारा  
 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत  
 रखते हुए प्राची का प्रार्थना पत्र अस्तगत  
 धारा 5 भारतीय प्रिस्सीमा अधिनियम  
 अधिनियम को स्वीकार किया जाकर  
 अपील पेशी करने में हुए विपक्ष की  
 अधिनियम को कड़ेन किया जाता है।  
 निर्णय सुनाया गया। पत्रावली संख्या  
 200/2024 को कर नोम्बर से कम हो तथा  
 मूल अपील पत्रावली के साथ नवी  
 है।

  
 अति. जिला कलक्टर  
 सिरौही (राज.)

